


भवानी १।५ रमेश चन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
13/11/2021	<p>भाग सह पत्रावली प्रशासन गांव के संग २०२१ कैम्प तिगावा में पेश हुई। शर्षी भवानीसिंह ने अपना वाद विद्वान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। शर्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वारी का वाद भागे चलने का कोई भौचित्य नहीं है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से काम है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासन गावों के संग अभियान-2021</p>	21/11/21



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

/20

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी आगामी पेशी दिनांक १३.१०.२०२० तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आ०ख० नं० ५०/०.१८९७ है० वाके ग्राम धीरधोका तह० कोटकासिम जिला अलवर में राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक १३.१०.२०२० को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

१५ ^{१२}/_{२०} वकुलाय फरीकेन उपस्थित P.O. सहब रीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक ३०.३.२०२० को उनके समक्ष पेश होवे।
रौडर

३० ^३/_{२१} वकुलाय फरीकेन उपस्थित पाठाना निकाषी बेदी पेशी है आयन्दा पत्रावली दिनांक २७.५.२० को पेश होवे।

२७ ^४/_{२१} वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिकारी ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली बलनगर में दि० १५.६.२१ को पेश होवे।

१५ ^३/_{२१} वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिकारी ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली पालना में दि० २५.८.२१ को पेश होवे।